

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम लाखावाड़ा के खाता सं. 109 खसरा नं. 54 में आवेदन पत्र अनुसार जससू सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत किशोरपुरा में दिनांक 28/3/25 को मजमेआम में सुनाया गया।



28/3/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी